के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दुरी का मौजूद है, लेकिन उक्त कम दुरी का रास्ता चारागाह भूमि में से है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है, इस कारण चारागाह भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौका जॉच रिर्पोट में लाल स्याही से दर्शाया है। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी सुल्तान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 848 मे आवागमन हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त फर्द मौका मय नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदययुपरवाटी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

15.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 13:02:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner